न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 57/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांक: 10.11.2021
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बालूसिंह पुत्र धुलसिंह गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी टोकड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 19.11.2024

अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 72/2020 बउनवान बालूसिंह बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा पटवारी हल्का पड़ासली की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट बालूसिंह द्वारा संवत 2077 में ग्राम टोकड़ा की खसरा संख्या 2066 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0 नाला पर कब्जा कर सोया बोकर व चारा काटकर अतिक्रमण किया है। न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रकरण सं0 798 दर्ज कर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 110 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 15.09.2020 से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलांट पश्चावर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि पटवारी ने अपीलांट की मौजूदगी में पैमाईश नहीं की है तथा अपीलांट को कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 2066 रकबा 2 बीघा की गै0 मु0 नाला भूमि पर नहीं है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में

19/11/2024

पेश कर देगा। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब एवं साक्ष्य के बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। अपीलांट द्वारा तावान राशि जमा करवा दी गई है तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करेगा तथा कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने को तत्पर है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 2066 रकबा 2 बीघा की गै0 मु0 नाला भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। अपीलांट द्वारा तावान राशि जमा करवा दी गई है तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करेगा तथा कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने को तत्पर है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा संवत 2076 में भी अतिक्रमण किये जाने से धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण संख्या 840 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 14.11.2019 से बेदखल किया गया तथा रूपये 110/– शास्ती कायम की गई। अतिक्रमी द्वारा पुन संवत 2077 में खसरा संख्या 2066 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला पर कब्जा कर सोया बोकर व चारा काट कर अतिक्रमण करने पर न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 110 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 15.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा पटवारी हल्का पड़ासली की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट बालूसिंह द्वारा संवत 2077 में ग्राम टोकड़ा की खसरा संख्या 2066 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0 नाला पर कब्जा कर सोया बोकर व चारा काटकर अतिक्रमण किये जाने से न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रकरण सं0 798 दर्ज कर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 110 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 15.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा अपीलांट के सम्वत् 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाने से अपीलांट को पश्चातवर्ती

19/11/2024

अतिक्रमी की श्रेणी में आने के परिणामस्वरूप निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 2066 रकबा 2 बीघा की गै0 मु0 नाला भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। जबकि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा संवत् 2076 में भी अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 840 निर्णय दिनांक 14.11.2019 से बेदखल किया गया था तथा 110 रूपये शास्ति कायम की गई थी। इसके पश्चात् पटवारी हल्का पड़ासली की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट बालूसिंह द्वारा संवत 2077 में ग्राम टोकड़ा की खसरा संख्या 2066 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै0मु0 नाला पर कब्जा कर सोया बोकर व चारा काटकर अतिक्रमण किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रकरण सं0 798 दर्ज कर जर्ये नोटिस तलब किये जाने पर उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 110 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 15.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ प्रकरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में अपीलांट को न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा 91 एलआरक्ट के तहत निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् अपीलांट को न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणास्वरूप अपीलांट को पश्चावर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित मानते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 24.02.2021 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया हो। साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसे कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये गये है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

19/11/24

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा